विड्रा पर खारिज 21-8-19

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिला कलक्टर झुंझुनू

अज अदालत

सोनिका नेहरा पत्नी स्व0 दीपेन्द्र नेहरा पुत्र श्री नन्दलाल नेहरा हाल निवासी पिलानी **बनाम** श्रीमती बनारसी देवी पत्नी श्री नन्दलाल नेहरा जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 22 पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू वगैरह ।

अपील सं. 47 सन् 2019

किस्म मुकदमा अपील विविध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2019	प्रस्तुत अपील बाद दर्ज के बिन्दु व स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत बहस सुनी जाकर पेश हुई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट, वकील केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट नम्बर 1) व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने दस्तावेज किता 3 पेश किया तथा अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की कथन किया कि अदालत मातहत ने गैर कानूनी तौर पर मृतक दीपेन्द्र नेहरा की जगह राजस्व रिकार्ड में श्रीमती बनारसी देवी पत्नी नन्दलाल रेस्पोडेन्ट के नाम फर्जी वसीयतनामा दिनांक 13.03.2012 के आधार पर दर्ज करने के आदेश दिनांक 14.06.2019 को पारित कर दिये है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा पुनः विचार याचिका अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की जो अदालत मातहत ने खारिज कर दी। अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आदेश दिनांक 14.06.2019 की आड़ में विवादित आराजी को बेचना चाहती है। ऐसा करने पर अपीलान्ट को सख्त हक तलफी व अपीलान्ट के सुखाधिकार का हनन होगा। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वह उक्त विवादित आराजी का बेचान, ट्रासंफर आदि न करें। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायलय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त आदेश दिनांक 14.06.2019 के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर संभागीय आयुक्त जयपुर को है। प्रकरण में अदालत मातहत ने वसीयतनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत् है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत की है। जो इसी स्तर पर क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज होने योग्य है। अतः खारिज फरमाई जावें। राजकीय अभिभाषक ने भी वकील रेस्पोडेन्ट के कथनों	

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

का समर्थन किया तथा अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के कथन उचित प्रतीत होते है। न्यायालय की दृष्टि में किसी पक्षकार को सुनवाई से वंचित रखना विधि सम्मत् नहीं है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थीया का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टस/अप्राथीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आदेश दिनांक 14.06.2019 की कियाविन्ति आगामी पेश तक स्थगित रखी जावे तथा उक्त आदेश से संबंधित विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार का बेचान आदि न करें। अपील दर्ज रजिस्टर होकर रिकार्ड मातहत तलब हो। चूंकि प्रकरण में सभी पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुकें है इसलिये उन्हे तलबी जारी करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली दिनांक 21.08.2019 पेश हो।

जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुंझुनू

21-8-19 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। अपीलान्ट भी उपस्थित। वकील अपीलान्ट तथा रेस्पो० नं० 1 के वकील ने एक प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने से अपीलान्ट अपील को नहीं चलाना चाहती व अपील को विड्रा करना चाहती है। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील विड्रो करने पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर लेकर हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

Sonilla

(रवि जैन)
जिला कलेक्टर झुन्झुनू